

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-16/10/2020

विषय :- पंचायती राज विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यपूर्णता से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-5743 दिनांक-24.09.2020, पत्रांक-4555 दिनांक-20.07.2020, पत्रांक-4056 दिनांक-29.06.2020 एवं पत्रांक-907 दिनांक-05.02.2020।

महाशय,

प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आप सभी अवगत हैं कि पंचायती राज विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यपूर्णता उपरांत विभागीय पत्रांक-907 दिनांक-05.02.2020 में वर्णित प्रक्रियागत स्वरूप में उल्लिखित तीनों आशय से संबंधित प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशित किया गया था।

प्रासंगिकता है कि वांछित तीनों प्रमाण-पत्र विभाग को अब तक अप्राप्त है। जबकि कतिपय ग्राम पंचायतों के कुछ ही वार्डों में विभिन्न आकस्मिकताओं के कारण कार्य की पूर्णता शेष है।

यथोक्त मार्गदर्शन एवं निदेशन के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर विभागीय दोनों निश्चय योजनाओं से संबंधित उपर्युक्त तीनों प्रमाण-पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापक:-3प/मु०मं०नि०यो०-19-23/2020/7111/पं०रा० पटना, दिनांक-16/10/2020

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

क०प००८